भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 897

जिसका उत्तर 07.12.2023 को दिया जाना है

सड़क नेटवर्क

897. श्री धर्मवीर सिंह:
श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
श्री दुष्यंत सिंह:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्रीमती संध्या राय:
श्री शंकर लालवानी:
श्री बसंत कुमार पंडा:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री जुगल किशोर शर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत नौ वर्षों के दौरान सड़क नेटवर्क की लंबाई और वैश्विक रैंकिग पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की अवसंरचना और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क ओर राजमार्ग निर्माण में सबसे तेजी से निर्माण का रिकार्ड सहित प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रमुख कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) विगत नौ वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के माध्यम से मार्गों की कनेक्टिविटी और विशेषकर मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिलों में नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत चार वर्षों के दौरान भिंड और दतिया जिलों में सड़कों के विकास पर खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) 31 मार्च 2019 तक अंतिम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 63,31,791 किमी का सड़क नेटवर्क है जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है।

मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क मार्च, 2014 में लगभग 91,287 किमी से बढ़कर वर्तमान में लगभग 1,46,145 कि.मी. हो गया है।

मंत्रालय ने तीव्र गति पहुंच नियंत्रित गलियारा और 4 लेन सड़क नेटवर्क के विकास पर जोर दिया है ताकि बेहतर लॉजिस्टिक्स कुशलता के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान कर सके। तीव्र गति पहुंच नियंत्रित गलियारा सहित 4 लेन से अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मार्च, 2014 में लगभग 18,371 किमी से बढ़ कर अब तक लगभग 46,179 कि.मी. हो गयी है। एक्सप्रेसवे सहित 21 ग्रीन फील्ड पहुंच-नियंत्रित गलियारा पर परियोजना कार्यान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। जिसमें से लगभग 3,336 किमी लंबाई पर काम पूरा हो चुका है।

मंत्रालय ने 2 लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को न्यूनतम दो लेन में को उन्नत पेव्ड शॉल्डर सहित 2 लेन का बनाने पर भी जोर दे रहा है। तदनुसार, दो लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमर्गों की लंबाई मार्च, 2014 में लगभग 27,517 किमी से घटकर अब तक लगभग 14,870 रह गई है।

मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर लॉजिस्टिक्स कौशल को बीएमपी के हिस्से के रूप में विकसित करने के लिए 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास को चिह्नित किया है। बीएमपी-I के तहत 15 एमएमएलपी को प्राथमिकता को आधार पर विकसित किया गया है।

पिछले नौ वर्षों के दौरान निर्मित एनएच की लंबाई का वर्षवार विवरण निर्माण की गति सहित निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	निर्मित रारा की लंबाई (किमी)	रारा निर्माण की गति (किमी/दिन)
2014-15	4,410	12
2015-16	6,061	17
2016-17	8,231	23
2017-18	9,829	27
2018-19	10,855	30
2019-20	10,237	28
2020-21	13,327	37
2021-22	10,457	29
2022-23	10,331	28

मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय में 2013-14 में लगभग 51,000 करोड़ रुपये से अधिक 2022-23 में 2,40,000 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे देश की आर्थिक वृद्धि होगी और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय ने तटबंध निर्माण के लिए नगर निगम के कचरे, बिटुमिनस निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक और सीमेंट कंक्रीट निर्माण में अपशिष्ट स्लैग का उपयोग करने के अलावा, 2016 से लगभग 3.46 करोड़ पेड़ लगाकर हरित पहल भी की है।

देश में एनएच नेटवर्क की उपरोक्त उल्लेखनीय वृद्धि और उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाई गई/की गई प्रमुख रणनीतियां इस प्रकार हैं:-

i. मंत्रालय ने विरासत में मिली रुकी हुई परियोजनाओं (2013-14 तक रुकी हुई परियोजनाएं) को उच्चतम स्तर पर कड़ी निगरानी और एक बार निधि निवेश, प्रतिस्थापन, समाप्ति और रीपैकेजिंग आदि जैसे उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा हल किया।

ii. परियोजनाओं और अनुबंध दस्तावेजों को तर्कसंगत बनाकर ठेकेदार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

iii. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर डीपीआर तैयार करने सहित सभी परियोजना योजना अनिवार्य है

iv. भूमि अधिग्रहण और पूर्व-निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाओं को पुरस्कृत करना

v. रेलवे द्वारा जीएडी (जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग) के अनुमोदन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया

vi. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना

vii. नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना और मानकों और विशिष्टताओं को लगातार उन्नत करना

viii. नवीन वित्तपोषण मॉडल आदि से संसाधन जुटाना।

ix. धन की तरलता में सुधार के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के तहत अनुबंध प्रावधानों में छूट

x. विवाद समाधान तंत्र को नया रूप दिया गया

xi. पोर्टल आधारित परियोजना निगरानी से मुद्दों का शीघ्र समाधान हो रहा है

xii. विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा

(ड़) 9,105 किमी लंबाई के 46 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं, जिनमें से 5,666 किमी की लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पिछले नौ वर्षों के दौरान किया गया है। इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की 161 किलोमीटर लंबाई का निर्माण भिंड और दतिया जिलों में पिछले नौ वर्षों के दौरान किया गया है।

(च) मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में भिंड और दतिया जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 522 करोड़ रुपये का व्यय किया है ।

*****